

4.7.22

No. of pages
12
4/3/22

पत्रावली पेश। / अधिवक्ता जर्जी डाल। / जर्जी
 अधिवक्ता श्री जालारक पुनिया द्वारा प्रथम पत्र
 पत्र (धारा 212 रिट Act) को नोट प्रेस जादर का
 निवेदन किया कि उक्त प्रकरण न्यायालय में
 नहीं चलाना चाहता हूँ। अतः उक्त प्रकरण
 प्रथम पत्र जोर ए नोट प्रेस खारिज करमावे।
 पत्रावली का अवलोकन किया गया, सुना गया।
 अधिवक्ता स्वयं अपना प्रकरण चलाना नहीं
 चाहते हैं। अतः प्रथम पत्र (धारा 212 रिट Act)
 जोर ए नोट प्रेस इनी स्तर पर खारिज किया जाता
 है। पत्रावली के मूल शुभारंभ दोनो पक्षों
 उपलब्ध है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 (फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

